

District Registry Office, Purnea Sadar

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 576

RTPS No.:-
030113091002400576

चूंकि श्री SIMANCHAL INFRATECH PVT LTD ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवधारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/2008 से ता० 12/02/2024 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला है-

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं०	खाता	खेसरा	रकवा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ सं	पृष्ठ तक	वर्ष
1	DSRO PURNIA	PURNIA EAST	BELOURI 107		407,410,411,412			0				
2	DSRO PURNIA	PURNIA EAST	BELOURI 107	326	403,404,405,406	09 ACRE 69 DEC 750 SQKARI		0				
3	DSRO PURNIA	PURNIA EAST	BELOURI 107	413,2008				0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़कर उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

नाम - ABHISEKH KUMAR SINHA
UDC

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम - ISHWAR DAS
OS



कार्यालय -

District Registry
Office, Purnea
Sadar

तारीख -

15/02/2024

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी-

- इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा "जिन्हें" विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की उरुरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
- किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
- और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- 576 दिनांक:- 15/02/2024

शाखा प्रबंधक BOB के पत्र दिनांक 12/02/2024 के आनांक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

15 FEB 2024

RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR
SEARCH & COPY

y Office, Purnea Sadar

nbranch Certificate

RTPS No.:-
030113091002400576

आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों
त करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों
इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है-

15 FEB 2024

Registering Officer


रा	रकवा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ से	पृष्ठ तक	वर्ष
	410,411,412		0				
2	DSRO PURNIA BELOURI 326 403,404,405,406	09 ACRE 69 DEC 750 SQKARI	0				
3	DSRO PURNIA BELOURI 107 413,2008		0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं
चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया -

नाम - ABHISEKH KUMAR SINHA
UDC

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की -

नाम - ISHWAR DAS
OS



District Registry
Office, Purnea
Sadar

कार्यालय -

तारीख -

15/02/2024

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी-

- इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की उल्लेख हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
- किन्तु चूकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
- और चूकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा दूँडे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- 576 दिनांक:- 15/02/2024

शाखा प्रबंधक BOB के पत्र दिनांक 12/02/2024 के आनांक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

15 FEB 2024